न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 06/2018

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
दुर्गाराम पुत्र हेमाजी जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 7 नई मेघवालों की वास, समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी 2. मोहनलाल पुत्र गोकुलराम जाति सैन निवासी जानियाना तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 18 मिसल सं. 64/2015 दिनांक 21.04.2016 जो अप्रार्थी सं. 2 मोहनलाल के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सम्पत बोथरा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30/12/2019

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157क,(1)(ख) के तहत ग्राम समदड़ी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 18 दिनांक 21.04.2016 को जारी किया एवं दिनांक 09.05.2016 को विक्रय विलेख उप पंजीयक कार्यालय समदड़ी के कार्यालय में पजीबद्ध कराया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 817 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत समदड़ी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का पैतृक स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक रहवासी मकान मौजा समदड़ी में आया हुआ हैं। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा प्रार्थी के इस पुश्तैनी स्वामित्व एवं आधिपत्य के मकान का पट्टा सं. 463 दिनांक 21.12.2012 को जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 2 और उसके जंवाई दिलीप कुमार द्वारा ग्राम पंचायत समदड़ी से मिलकर षडयंत्रपूर्वक प्रार्थी के मकान को हड़पने की नियत से आलौच्य फर्जी एवं कूट रचित पट्टे का निर्माण दिनांक 21.04.2016 को कराया तथा दिनांक 12.05.2016 को इसे पंजीबद्ध करवा दिया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सम्पत्ति बाबत ग्राम पंचायत द्वारा किसी के पक्ष में पट्टा निष्पादित कर दिया जाता हैं तो उसी सम्पत्ति का के संबंध में पुनः अन्य व्यक्ति के नाम पट्टा जारी करने की विधिक अधिकारिता नहीं हैं तथा इस आधार पर आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं।

4. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष स्वंय के बारे में गलत तथ्य एवं भूखण्ड के पडौस अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व न तो तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया और न ही कमेटी द्वारा नक्शा मौका समेत पट्टा जारी करने की सिफारिश की गई। अप्रार्थी सं. 2 का उक्त भूखण्ड पर कभी कब्जा नहीं रहा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

था तथा कब्जे के अभाव में धारा 157(ख) के प्रावधानों के अनुसार पुराने गृहों के विनयमितीकरण का आलौच्य पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के प्रार्थना पत्र पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों की पालना नहीं की गई है, लिहाजा प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा सं. 18 निरस्त फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा सं. 18 दिनांक 21.04.2016 विधि संगत रूप से जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही हैं। मौजा समदड़ी में विवादित मकान प्रार्थी का आया हुआ था जिसे जरिये ईकरारनामा दिनांक 25.05.2015 प्रतिफल रूपये 5,00,000/– प्राप्त कर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया। इस मकान पर दिनांक 25.05.2015 से अप्रार्थी सं. 2 का स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा हैं। इस ईकरारनामा के आधार पर अप्रार्थी सं. 2 ने ग्राम पंचायत समदड़ी के समक्ष पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम की गई एवं विहित प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। प्रार्थी स्वंय द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 27.05.2015 को नोटेरी से तस्दीक करवाकर एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने स्पष्ट रूप से कथन किया हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने बाबत कोई एतराज नही हैं। इस प्रकार प्रार्थी अब विधिनुसार धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत इस पट्टे को चुनौती देने में विबंधित है। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियमों के तहत सभी नियमों की पालना करते हुए दिनांक 21.04.2016 को आलौच्य पट्टा नियम 157(ख) के तहत जारी किया एवं जिसका पंजीयन भी उप पंजीयक कार्यालय

जिला कलक्टर
बाड़मेर

समदड़ी से दिनांक 09.05.2016 को करवाया गया। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र गलत व निराधार एवं अप्रार्थी सं. 2 को परेशान करने की नियत से पेश किया गया हैं जो व्यय सहित खारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है जो कि पुराने कब्जे के आधार पर विनियमितीकरण के तहत जारी किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी से आलौच्य पट्टा कार्यवाही की प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में भूमि का विक्रय विलेख प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण आदेशिकाओं में पुश्तैनी कब्जे के आधार पर पट्टा जारी करने की कार्यवाही की गई हैं। सरपंच द्वारा दिनांक 09.05.2016 को विक्रय विलेख जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया नियम 157(ख) के तहत सम्पन्न की गई हैं। अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने स्वंय ही कथन किया हैं कि उक्त भूखण्ड उनके द्वारा खरीद किया गया है, जिसका दस्तावेजी सबूत इकरारनामा दिनांक 25.05.2015 प्रस्तुत किया है, इससे स्पष्ट साबित हो जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 का पुश्तैनी कब्जा नही रहा हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने लिखित जवाब के पद सं. 4 में अंकित किया हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(ख) में जारी नहीं किया गया हैं एवं पद सं. 8 में पुनः लिखा हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया हैं जो विधि सम्मत हैं जो कि अप्रार्थी सं. 2 का विरोधाभासी कथन प्रकट होता हैं। जहां तक अधिवंक्ता अप्रार्थी का कथन हैं कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने बाबत अनापत्ति जाहिर की थी तो फिर वह इस निगरानी के द्वारा पुनः प्रतिकूल कथन करने से विबंधित है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह नियम विरूद्ध है। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा सं. 463 दिनांक 21.12.2012 को जारी कर दिया था। इसके पश्चात पुनः आलौच्य पट्टा नियम 157(ख) के अन्तर्गत जारी किया गया है, जो पुराने कब्जों के नियमितीकरण के लिये जारी किया जाता हैं जबकि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा विवादित भूखण्ड जरिये इकरारनामा क्रय किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण के अर्न्तत अनियमित एवं एक बार जारी पट्टे पर दुबारा अन्य व्यक्ति के पक्ष में नियम विरूद्ध कार्यवाही द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अवैधता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा बैठक दिनांक 05.09.2015 के संकल्प सं. 2 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 18 दिनांक 21.04.2016 एवं विक्रय विलेख दिनांक 09.05.2016 को अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर